कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक-05.07.2026

मुगलसराय पुलिस व आरपीएफ टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान अवैध अंग्रेजी के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से (कुल शराब 19.35 लीटर) 54000/- रुपये का शराब बरामद

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी के विरूद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में दिनांक 04.07.2026 को थाना मुगलसराय पुलिस टीम व आरपीएफ पुलिस टीम द्वारा रेलवे डाउन रिसीविंग यार्ड से जीटीआर पुल की ओर संयुक्त रूप से गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी चेकिंग के दौरान जीटीआर पुल के नीचे रेलवे किमी संख्या 673/86 के पास दो व्यक्ति संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। जिनसे नाम पता पूछा गया तो अपना नाम 1. रवि कुमार साव पुत्र स्व0 सुरेन्द्र कुमार साव निवासी छोटी खगौल, पोस्ट खगौल, थाना दानापुर, जनपद पटना (बिहार) व 2.पंकज कुमार मिश्रा पुत्र उपेन्द्र मिश्रा निवासी कर्मपुरा, थाना गोपालपुर सम्पा चौक, जनपद पटना (बिहार) बताया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी के दौरान अभियुक्त रवि कुमार साव पुत्र स्व0 सुरेन्द्र कुमार साव निवासी छोटी खगौल, पोस्ट खगौल, थाना दानापुर, जनपद पटना (बिहार) के कब्जे से 20 पीस आफ्टर डार्क ब्ल्यू (75 एमएल), 07 पीस रायल स्टैग (750 एमएल) एवं 40 पीस 8 पीएम टेट्रा पैक (180 एमएल) कुल 13.95 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब तथा एक वीवो कंपनी का मोबाइल फोन एवं ₹600 नगद बरामद किया गया।
अभियुक्त पंकज कुमार मिश्रा पुत्र उपेन्द्र मिश्रा निवासी कर्मपुरा, थाना गोपालपुर सम्पा चौक, जनपद पटना (बिहार) के कब्जे से 30 पीस 8 पीएम टेट्रा पैक (180 एमएल) कुल 5.40 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, एक कीपैड मोबाइल फोन एवं ₹200 नगद बरामद हुए।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे उत्तर प्रदेश से विभिन्न शराब की दुकानों से शराब खरीदकर बिहार में शराबबंदी का लाभ उठाते हुए ट्रेनों के माध्यम से ले जाकर ऊँचे दामों पर बेचते थे, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा प्राप्त होता था। आज भी दोनों अभियुक्त शराब लेकर बिहार जाने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे, तभी संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओ में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रीम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण-

1.रवि कुमार साव पुत्र स्व0 सुरेन्द्र कुमार साव निवासी छोटी खगौल, पोस्ट खगौल, थाना दानापुर, जनपद पटना (बिहार)
2.पंकज कुमार मिश्रा पुत्र उपेन्द्र मिश्रा निवासी कर्मपुरा, थाना गोपालपुर सम्पा चौक, जनपद पटना (बिहार)

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 323/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

अभियुक्त पंकज कुमार मिश्रा पुत्र उपेन्द्र मिश्रा निवासी कर्मपुरा, थाना गोपालपुर सम्पा चौक, जनपद पटना (बिहार) का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 176/26 धारा 30(A)BE थाना गोपालपुर पटना बिहार

विवरण बरामदगीः-

70 पीस 8PM टेट्रा पैक प्रत्येक की मात्रा 180 ML

20 पीस आफ्टर डार्क ब्लूय 75 ML प्रत्येक

7 पीस रायल स्टेज प्रत्येक 750 ML अग्रेजी शराब

कुल मात्रा 19.35 लीटर नाजायज अंग्रेजी शराब